धनतेरस-दीपावली पर तीन दिन बदली रहेगी यातायात व्यवस्था

अपराध संवाददाता

गोरखपुर, ५ नवम्बर। धनतेरस और दीपावली पर्व पर बाजारों में जुटने वाली भीड़ के मद्देनज़र आगामी ६, ७ व ८ नवम्बर तीन दिन नगर क्षेत्र की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। बाजार पहुंचने वाले ग्राहकों और व्यापारियों को कहीं कोई परेशानी न हो इसके लिए यातायात पुलिस ने प्रमुख बाजारों गोलघर, घंटाघर, रेती, शाहमारूफ, अलीनगर और अन्य प्रमुख बाजारों की ओर जाने वाले मार्गों पर लोडर, ऑटो और ई-रिक्शा के प्रवेश पर प्रतिबंध किया है। उक्त व्यवस्था तीनों दिन सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी। उक्त जानकारी देते हुए एसपी ट्रैफिक अमित कुमार श्रीवास्तव ने लोगों से अपील की है कि बाजारों में खरीदारी के लिए निकलने से पहले निर्धारित डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था का सभी ध्यान रखें। ट्रैफिक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार उक्त तिथियों में काली मंदिर से गोलघर की तरफ जाने वाले लोडर, ऑटो और ई-रिक्शा का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। कचहरी चौराहा से गणेश चौराहा, जीएम पोस्ट ऑफिस तिराहा से गणेश चौराहा तथा तमकुही तिराहा से कचहरी चौराहा की ओर ऑटो और ई-रिक्शा नहीं जा सकेंगे। इसी तरह शास्त्री चौराहा से कचहरी चौराहा की तरफ भी इन वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। घोष कंपनी चौराहा से रेती



◆प्रमुख बाजारों में ऑटो-ई-रिक्शा व लोडर प्रतिबंधित,पार्किंग में खड़ी होंगी गाड़ियां

चौराहा, घोष कंपनी चौराहा से नक्खास चौराहा, नॉर्मल टैक्सी स्टैंड से घंटाघर मार्ग, अलहदादपुर तिराहे से रायगंज, दुर्गाबाड़ी चौराहा से चरनलाल चौराहा की ओर सभी प्रकार के लोडर, ऑटो और ई-रिक्शा का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इसी क्रम में सुमेर सागर तिराहा से विजय चौराहा और जटाशंकर तिराहा से अलीनगर चौराहा, बरफखाना तिराहा से बसंतपुर चौराहा, घंटाघर चौराहा और लालडिग्गी, मदीना मस्जिद तिराहे से शाहमारूफ के रास्ते भी लोडर, ऑटो और ई-रिक्शा नहीं जा सकेंगे। दूसरी तरफ भारी वाहनों के आवागमन के लिए भी वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया गया है। रोडवेज बस, ऑयल टैंकर, गैस टैंकर, दुग्ध वाहन और अन्य राजकीय वाहन विश्वविद्यालय चौराहा तथा मोहद्दीपुर चौराहा होते हुए चारफाटक ओवरब्रिज से कौवाबाग बाईपास मार्ग पर जाएंगे। वहां से असुरन चौराहा, खजांची चौराहा और स्पोर्ट्स कॉलेज चौराहा होते हुए बरगदवा चौराहा के रास्ते फरेन्दा और सोनौली की तरफ जा सकेंगे। फरेन्दा और पीपीगंज की ओर से गोरखनाथ मंदिर की तरफ आने वाले भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे वाहन बरगदवा चौराहा से स्पोर्ट्स कॉलेज, खजांची चौराहा, असुरन चौराहा और कौवाबाग मार्ग होते हुए चारफाटक ओवरब्रिज से मोहद्दीपुर पहुंचेंगे। यहां से देवरिया और कुशीनगर की तरफ जा सकेंगे।

वृद्धजनों की चिकित्सा में विशेष संवेदनशीलता की आवश्यकता-प्रो. शेट्टी

कार्यालय प्रतिनिधि

गोरखपुर, ५ नवम्बर। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर (एमजीयूजी) के गुरु गोरक्षनाथ इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (आयुर्वेद कॉलेज) के भारतीय ज्ञान परंपरा आईकेएस पारंपरिक चिकित्सा केंद्र की तरफ से आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 'दीर्घायु 2026' के दूसरे दिन के विभिन्न सत्रों में डिमेंशिया प्रबंधन, तंत्रिका विकारों की आयुर्वेदिक चिकित्सा, वृद्धजनों में शल्य चिकित्सा जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने गहन मंथन किया। राष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे दिन के प्रथम तकनीकी सत्र में श्री बीएम कांकेनवाड़ी आयुर्वेद महाविद्यालय, बेलगावी के प्राचार्य एवं चिकित्सा निदेशक प्रो. डॉ.सुहास कुमार शेट्टी ने डिमेंशिया के प्रबंधन में समयबद्ध पहचान और पारिवारिक सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि वृद्धजनों की चिकित्सा में विशेष संवेदनशीलता, धैर्य एवं व्यक्तिगत देखभाल की आवश्यकता होती है। सत्र की अध्यक्षता डॉ. दिनेश कुमार सिंह ने की। डॉ. संदीप कुमार उपाध्याय ने सह-अध्यक्ष तथा डॉ. रचना एएस ने सत्र संचालन का दायित्व निभाया।गुरुवार को दूसरे तकनीकी सत्र में डॉ. बीआरकेआर राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय हैदराबाद के सेवानिवृत्त आचार्य डॉ. एम. श्रीनिवासुलु ने वात संतुलन एवं व्यक्ति की प्रकृति के अनुरूप आयुर्वेदिक चिकित्सा पर बल देते हुए कहा कि वृद्धावस्था में वात दोष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। साथ ही तंत्रिका संबंधी विकारों के उपचार में वात संतुलन, रोगी की प्रकृति, शारीरिक क्षमता एवं रोगावस्था का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बी.डी. भारती ने सत्र का संचालन किया तथा भावना कुमावत ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। एक अन्य तकनीकी सत्र में बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में मेडिसिन विभाग के आचार्य डॉ. राजकिशोर सिंह ने सार्कोपीनिया एवं मांसपेशियों के स्वास्थ्य पर विशेष व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था में मांसपेशियों के घटते द्रव्यमान का असर कार्यक्षमता पर पड़ता है। सत्र की अध्यक्षता डॉ. वर्षा मोखासी ने की तथा सह-अध्यक्ष के रूप में डॉ. संजय भट्ट उपस्थित रहे। सत्र का संचालन डॉ. वैसाख ने किया तथा रिपोर्टिंग सुश्री मेघा ने की।



◆राष्ट्रीय संगोष्ठी 'दीर्घायु 2026' के दूसरे दिन डिमेंशिया प्रबंधन, तंत्रिका विकारों की आयुर्वेदिक चिकित्सा, वृद्धजनों में शल्य चिकित्सा जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने किया गहन मंथन

सूचना-सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा हाईस्कूल वर्ष 2014 अनुक्रमांक 2836287 व इण्टर मीडिएट वर्ष 2016 अनुक्रमांक 2146408 का मूल प्रमाणपत्र सह अंकपत्र वास्तव में खो गया है। **कु० सरिता** पुत्री कोइल शर्मा ग्राम अगया, पोस्ट पुरन्दरपुर, जनपद महराजगंज, 273162.

सूचना-सूचित किया जाता है कि बजाज लाइफ इ. लि. मे अपने पुत्र के नाम से पॉलिसी ली हूं जिसका पॉलिसी सं. 0213167181 है जिसमे मेरा नाम ANJOO CHATURVEDI तथा पुत्र का नाम MASTER ARPAN CHATURVEDI हो गया है जबकि आधार कार्ड के अनुसार मेरा सही नाम ANJOO PANDEY तथा पुत्र का नाम SHREYANSH CHATURVEDI है **अंजू पाण्डेय** पत्नी प्रणव चतुर्वेदी तिलकनगर मुन्ना कॉलोनी पडरौना कुशीनगर (उ. प्र.) 274304.

आवश्यकता है

वीरेन्द्र मिथिलेश्वर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महदेइया, लोटन-सिद्धार्थनगर को सि.न. में डी.एल.एड. पाठ्यक्रम हेतु निम्नलिखित विषयों में प्रवक्ताओं की। योग्यता एनसीटीई/एससीईआरटी के परिनियमावली के अनुसार, 1-शिक्षा के आधार, 2-भाषा हिन्दी, 3- गणित, 4-विज्ञान, 5-ललित कला। इच्छुक अभ्यर्थी विज्ञापन प्रकाशन होने के 15 दिन के अन्दर महाविद्यालय से सम्पर्क करें।

प्रबन्धक, मो.-9838541783

सूचना-सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी एकमात्र पुत्री कु. सिमरन वैश्य (अविवाहित) पुत्री स्व. रंजीत कुमार वैश्य, निवानिसी-24, घासीकटरा, जिला-गोरखपुर है, उसके अलावा मेरी कोई अन्य संतान नहीं है, जो कि मेरे साथ रहती है। **निर्मला गुप्ता** पत्नी स्व. रंजीत कुमार वैश्य, निवासिनी-24, घासीकटरा, पुलिस चौकी के पास, थाना-तिवारीपुर, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर। मो.नं.-7705923683

अदालती नोटिस

प्रपत्र संख्या-3

न्यायालय-अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय द्वितीय, गोरखपुर

याचिका सं.-1142/2023

कलावती बनाम सुरेन्द्र गुप्ता

सुरेन्द्र गुप्ता पुत्र मदन गुप्ता निवासी वार्ड नं.-6, सिविल लाइन्स फरेन्दा, जनपद-महराजगंज उ.प्र.-273155 (माहेश्वरी मिष्ठान के पीछे, शिव मंदिर के सामने)

चूंकि ऊपर नामित याची ने आपके विरुद्ध जैसा याचिका में दिया गया है एक याचिका संस्थित की है। आपसे इस सम्मन के आपको तामील होने के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस न्यायालय में स्वयं हाजिर होने या न्यायालय की अनुमति से वकालतनामा दाखिल करने की अपेक्षा की जाती है। और चूंकि वाद को निर्देश के लिए 06 दिवस 11 माह सन् 2026 को न्यायाधीश के बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

आपको एतद्द्वारा याची के दावे का उत्तर देने के लिए उक्त 06 दिवस 11 माह सन् 2026 को न्यायाधीश के समक्ष पूर्वाह्न 11 बजे उपस्थित होने के लिए सम्मन किया गया है और सूचना दी जाती है कि पूर्व उल्लिखित दिनांक को पक्षों को, जो उपस्थित हों, सुनने के पश्चात/न्यायाधीश द्वारा कुटुम्ब न्यायालय के परामर्शदाता के समक्ष सुनवाई के दिनांक के सम्बन्ध में और याचिका से सम्बन्धित अन्य मामलों में निर्देश दिये जायेंगे और अग्रतर सूचना दी जाती है कि यदि पूर्व उल्लिखित दिवस को न्यायाधीश के समक्ष स्वयं हाजिर होने या ऊपर यथापेक्षित वकालतनामा दाखिल करने या आप उपस्थित होने में असफल रहते हैं तो याचिका को उसी दिन या किसी अनुवर्ती दिवस को 'अप्रतिवादित' के रूप में बोर्ड के समक्ष रखा जायेगा और आपके विरुद्ध पारित किसी डिग्री या आदेश के लिए आप उत्तरदायी होंगे।

पूर्वोक्त आज 03 दिवस 11 माह सन् 2026 ई. को जारी

ह. पदाभिहित अधिकारी

मोहर न्यायालय

अदालती नोटिस

प्रपत्र संख्या-3

न्यायालय-अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय द्वितीय, गोरखपुर

याचिका सं.-124/2025

शारदुल मिश्रा बनाम श्रीमती श्वेता पाण्डेय

श्रीमती श्वेता पाण्डेय पत्नी श्री शारदुल मिश्रा पुत्री श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय निवासी ई.डब्ल.एस.-353 शास्त्रीनगर कालोनी, निकट काली मंदिर, पो.-गोरखनाथ गोरखपुर-273015

चूंकि ऊपर नामित याची ने आपके विरुद्ध जैसा याचिका में दिया गया है एक याचिका संस्थित की है। आपसे इस सम्मन के आपको तामील होने के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस न्यायालय में स्वयं हाजिर होने या न्यायालय की अनुमति से वकालतनामा दाखिल करने की अपेक्षा की जाती है। और चूंकि वाद को निर्देश के लिए 27 दिवस 11 माह सन् 2026 को न्यायाधीश के बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

आपको एतद्द्वारा याची के दावे का उत्तर देने के लिए उक्त 27 दिवस 11 माह सन् 2026 को न्यायाधीश के समक्ष पूर्वाह्न 11 बजे उपस्थित होने के लिए सम्मन किया गया है और सूचना दी जाती है कि पूर्व उल्लिखित दिनांक को पक्षों को, जो उपस्थित हों, सुनने के पश्चात/न्यायाधीश द्वारा कुटुम्ब न्यायालय के परामर्शदाता के समक्ष सुनवाई के दिनांक के सम्बन्ध में और याचिका से सम्बन्धित अन्य मामलों में निर्देश दिये जायेंगे और अग्रतर सूचना दी जाती है कि यदि पूर्व उल्लिखित दिवस को न्यायाधीश के समक्ष स्वयं हाजिर होने या ऊपर यथापेक्षित वकालतनामा दाखिल करने या आप उपस्थित होने में असफल रहते हैं तो याचिका को उसी दिन या किसी अनुवर्ती दिवस को 'अप्रतिवादित' के रूप में बोर्ड के समक्ष रखा जायेगा और आपके विरुद्ध पारित किसी डिग्री या आदेश के लिए आप उत्तरदायी होंगे।

पूर्वोक्त आज 03 दिवस 11 माह सन् 2026 ई. को जारी

ह. पदाभिहित अधिकारी

मोहर न्यायालय

अदालती नोटिस

(बदस्त अवाम फरोख्त के लिए)

इत्तिलानामा बनाम रेस्पान्डेन्ट बावत इत्तिला

(तारीख मुकर्रर समाअत अपील)

न्यायालय-अपर जिला जज कोर्ट नम्बर-1, गोरखपुर

सिविल जजी अपील सं.-115/2025

आद्या प्रसाद वगैरह

बनाम

श्रीमती प्रेमलता वगैरह

बनाम-1. श्रीमती प्रेमलता बालिग पत्नी स्व. अखिलेश्वर मिश्र निवासी मौजा-जंगल हकीम नं.-1, बिछिया, पोस्ट-पादरी बाजार, शहर व जिला-गोरखपुर, 2.श्रीमती हेमवन्ती बालिग पत्नी श्री ओमप्रकाश मिश्र, निवासी एस.डी.एम. कालोनी, तहसील सदर खलीलाबाद, जिला-संत कबीरनगर, 3. अलीन्द्र मिश्र बालिग पुत्र श्री अम्बिका मिश्र निवासी ग्राम-बढ़यापार, तप्पा घोष, परगना नौगढ़, तहसील सदर, जिला-सिद्धार्थनगर, 4. सच्चिदानन्द मणि त्रिपाठी बालिक पुत्र स्व. इन्दुशेखर मणि त्रिपाठी, 5. श्रीमती रम्भा देवी बालिग पत्नी स्व. राजेन्द्र मणि, 6. राहुल बालिग पुत्र स्व. राजेन्द्र मणि, 7. पल्लवी बालिग पुत्री स्व. राजेन्द्र मणि, 8. प्रज्ञा उर्फ जूही बालिग पुत्री स्व. राजेन्द्र मणि निवासीगण ग्राम-नैयापार खुर्द तप्पा पतरा, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला-गोरखपुर, 9. सुनील मणि त्रिपाठी बालिग पुत्र स्व. महेन्द्र मणि त्रिपाठी, 10. गुड्डी बालिग पुत्री स्व. महेन्द्र मणि त्रिपाठी, निवासीगण ग्राम-नैयापार खुर्द तप्पा पतरा, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला-गोरखपुर।

इत्तिला हो कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमे में मुसम्मी ने तारीख 14 महीना 12 सन् 2026ई. को समाअत इस अपील के मुकर्रर की है। अगर खुद आपके वकील या और कोई सख्श जो कानूनन आपकी तरफ से अपीलहाजा सवाल जवाब करने की मरजी रखता हो हाजिर न हो जायेगा तो उसकी समाअत और तजबीज आपकी गैरहाजिरी में एकतरफा की जायेगी।

आज तारीख 11 महीना 10 सन् 2026ई. को मेरे दस्तखत और मोहर अदालत के हवाले किया गया।

ह. मुंसरिम

मोहर न्यायालय

पूर्वोत्तर रेलवे

ई-निविदा सूचना संख्या-एस एण्ड टी/कान/ई-टेन्डर/10/2026

उप मुसिद्दइं/निर्माण/लखनऊ कृते एवं भारत के राष्ट्रपति की ओर से ई-टेन्डर के माध्यम से निम्नलिखित कार्यों के लिए टेंडर प्रपत्र में अंकित निर्धारित योग्यता का पर्याप्त अनुभव रखने वाले ठेकेदारों से निविदायें आमंत्रित करते हैं:

निविदा सूचना संख्या: एस एण्ड टी/ कान/ ई-टेन्डर/10/2026, कार्य का नाम: पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के परसेंडी, तहसील फतेहपुर, सरयां स्टेशन में नई आने वाली तीसरी/चौथी लाइन के दायरे में आ रहे मौजूदा रिले रूम को हटाने के कारण, एसआईपी (संलग्न) के अनुसार आरडीएसओ विशिष्टता संख्या RDSO/SPN/192/2019 या नवीनतम के अनुसार केंद्रीकृत ईआई का डिजाइन, प्रोग्रामिंग, संस्थापन, आपूर्ति, परीक्षण और कमिशनिंग (चालू करना) तथा आने वाली तीसरी/चौथी लाइन के कारण बड़े पैमाने पर यार्ड रीमॉडेलिंग के कारण चौकाघाट स्टेशन के मौजूदा क्योसन मेक के केंद्रीकृत ईआई में बदलाव/संवर्धन कार्य सहित इनडोर और आउटडोर कार्य के साथ सामग्री की आंशिक आपूर्ति का कार्य। बयाना राशि (रू०): ₹ 69,96,900/-, अनुमानित ठेका लागत (रू०): ₹ 34,98,43,194.17, स्वीकृति पत्र प्राप्त होने की तिथि से कार्य पूर्ण करने की अवधि: 12 माह, निविदा बन्द होने की तिथि: दिनांक 01-12-2026 को 15:00 बजे।

नोट: • इस निविदा के लिए किसी भी तरह के मैनुअल प्रस्तावों की अनुमति नही है और किसी भी तरह के प्राप्त मैनुअल प्रस्ताव को नजर अंदाज कर दिया जाएगा। • पूर्ण विवरण वेबसाइट *http://www.ireps.gov.in* पर अपलोड कर दी गयी है। • निविदादाता के पास क्लास-III डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र होना आवश्यक है और IREPS पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिये। • सभी आवश्यक दस्तावेज ई-निविदा में भाग लेने के समय में अपलोड किये जाने चाहियें।

उप मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार इंजी./मुजाधि/सिगनल-141 निर्माण/लखनऊ

गाड़ियों की छतों व पायदान पर कदापि यात्रा न करें।

इंटरलाकिंग सड़क के निर्माण से ग्रामीणों में हर्ष

गोरखपुर, ५ नवम्बर। विकास खंड बांसगांव के ग्राम पंचायत बैदौली बाबू में इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण हो जाने से ग्रामीणों में हर्ष की लहर दौड़ गयी है। इस कार्य को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले प्रधान प्रतिनिधि विकास सिंह को बधाई देने वालों का तांता लग गया है। बांसगांव प्रतिनिधि के अनुसार बैदौली बाबू गांव में सघन आबादी वाले मुस्लिम बस्ती में ऊबड़-खाबड़ रास्ते के चलते ग्रामीणों को वर्षों से आने-जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। बरसात के दिनों में तो इस बस्ती में नारकीय स्थिति पैदा हो जाती थी, लोगों को कीचड़ और पानी के बीच से होते हुए घरों को जाना पड़ रहा था। प्रधान प्रतिनिधि विकास सिंह ग्रामीणों की इस दुर्दशा से आहत हो उठे। उन्होने इस बस्ती के ऊबड़-खाबड़ रास्ते का इंटरलाकिंग कराने का संकल्प लिया। संकल्प को मूर्त रूप देने के बाद विकास सिंह ने गुरूवार को पत्रकारों को बताया कि गांव की मुस्लिम बस्ती में अब्दुल्ला के घर से मुनीर के घर तक करीब 100 मीटर की लम्बाई में छः मीटर चौड़े रास्ते पर राज्यवित्त की धनराशि से इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण पूरा करा दिया है। जिससे ग्रामीणों में हर्ष पैदा हो गया है। रफ़ीक अंसारी, अब्दुल्ला मुनीर, जुगनू, अरुण तिवारी, ग्राम प्रधान मनोज कुमार, मंसूर, नूरालम मास्टर, ज्ञान बहादुर सिंह, अजय कुमार आज़ाद, नन्हे, राम प्रवेश आदि ने विकास सिंह को बधाई दी है।

सूचना-सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम PRINS से बदलकर PRINCE RAUNIYAR रख लिया है। अब मुझे इसी नाम से जाना एवं समझा जाए। **PRINCE RAUNIYAR** पुत्र दिनेश निवासी ग्राम व पोस्ट गदौरा, जिला महराजगंज 273305

सूचना-सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवस मेरा नाम रुद्रनाथ दर्ज हो गया है, जबकि मेरा सभी अन्य कागजात में सही नाम रुद्रनाथ तिवारी है। अब मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाए। **रुद्रनाथ तिवारी** पुत्र स्व. मार्कण्डेय, ग्राम सतोरा, पोस्ट असौजी बाजार, थाना सिकरीगंज तहसील – खजनी, जिला गोरखपुर, पिन –273213

सूचना-सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की बड़हलगंज शाखा द्वारा मेरे जीवन पर जारी पालिसी सं. 292802828 में मेरा नाम महेश गौर दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है। मेरा सही नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं बैंक पासबुक के अनुसार चिन्टू गोंड है। दोनों नाम एक ही व्यक्ति का है। मुझे भविष्य में चिन्टू गोंड के नाम से जाना व पहचाना जाये। **चिन्टू गोंड** पुत्र विष्णु, जालेश्वेरनाथ मंदिर पुरानी बाजार उनवल कस्बा संग्रामपुर, टेकवार, जिला-गोरखपुर-273406

आवश्यकता है

सरस्वती लॉ कालेज

नौरंगिया कुशीनगर

प्राचार्य पद हेतु निम्न पद

प्राचार्य - 1 पद

बी०ए० एल०एल०बी० हेतु निम्न पद-

राजनीतिशास्त्र -1 पद

अर्थशास्त्र -1 पद

अंग्रेजी -1 पद

इतिहास-1 पद

समाजशास्त्र-1 पद

एल०एल०बी० हेतु निम्न पद-

सहायक आचार्य-12 पद

योग्यता एवं वेतनमान - एम०ए० नेट/पी०एच०डी०/गोरखपुर विश्वविद्यालय/बार काउंसलिंग ऑफ इण्डिया के मानकानुसार।

विज्ञापन तिथि से 21 दिन के अन्दर अपना आवेदन महाविद्यालय के पते पर पंजीकृत डाक से प्रेषित करें।

सम्पर्क करें-

7311137816, 7311137840, 7651956104

E-mail

saraswatilawcollege24@gmail.com

अदालती नोटिस

प्रपत्र संख्या-3

न्यायालय-अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय तृतीय, गोरखपुर

याचिका सं.-1854/2025

धीरेन्द्र कुमार सिंह बनाम कंचन सिंह

कंचन सिंह W/o धिरेन्द्र कुमार सिंह पुत्री ज्ञान सिंह निवासी म.नं.जी-250 विकास नगर आवासीय कालोनी निकट खेतान हास्पिटल बरगदवा, तहसील सदर, गोरखपुर, वर्तमान पता-ग्राम-उसरापार, पो.-टुंगपार, थाना-महुली, तहसील-सदर, जिला-संत कबीरनगर (उ.प्र.)।

चूंकि ऊपर नामित याची ने आपके विरुद्ध जैसा याचिका में दिया गया है एक याचिका संस्थित की है। आपसे इस सम्मन के आपको तामील होने के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस न्यायालय में स्वयं हाजिर होने या न्यायालय की अनुमति से वकालतनामा दाखिल करने की अपेक्षा की जाती है। और चूंकि वाद को निर्देश के लिए 12 दिवस 11 माह सन् 2026 को न्यायाधीश के बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

आपको एतद्द्वारा याची के दावे का उत्तर देने के लिए उक्त 12 दिवस 11 माह सन् 2026 को न्यायाधीश के समक्ष पूर्वाह्न 11 बजे उपस्थित होने के लिए सम्मन किया गया है और सूचना दी जाती है कि पूर्व उल्लिखित दिनांक को पक्षों को, जो उपस्थित हों, सुनने के पश्चात/न्यायाधीश द्वारा कुटुम्ब न्यायालय के परामर्शदाता के समक्ष सुनवाई के दिनांक के सम्बन्ध में और याचिका से सम्बन्धित अन्य मामलों में निर्देश दिये जायेंगे और अग्रतर सूचना दी जाती है कि यदि पूर्व उल्लिखित दिवस को न्यायाधीश के समक्ष स्वयं हाजिर होने या ऊपर यथापेक्षित वकालतनामा दाखिल करने या आप उपस्थित होने में असफल रहते हैं तो याचिका को उसी दिन या किसी अनुवर्ती दिवस को 'अप्रतिवादित' के रूप में बोर्ड के समक्ष रखा जायेगा और आपके विरुद्ध पारित किसी डिग्री या आदेश के लिए आप उत्तरदायी होंगे।

पूर्वोक्त आज 03 दिवस 11 माह सन् 2026 ई. को जारी

ह. पदाभिहित अधिकारी

मोहर न्यायालय

सूचना-सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पासपोर्ट में त्रुटि बस मेरे नाम की स्पेलिंग BAL KISHUN अंकित हो गई है जबकि मेरे नाम की स्पेलिंग BAL KISHAN है जो सही है। **बाल किशन** पुत्र सतिराम, ग्राम –करमडाड, पोस्ट –हर्रैया, तहसील –हर्रैया, जिला बस्ती

सूचना-सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र आयुष कुमार के विद्यालयीय अभिलेखों में पिता का नाम त्रुटिवश 'चंदन दास' दर्ज हो गया है, जिसे सही नाम 'चंदन कुमार दास' (पुत्र बृजवासी दास, निवासी– 119वाई, सैनिक कुंज, नंदानगर, कूड़ाघाट, गोरखपुर) पढ़ा व मान्य किया जाए।

चंदन कुमार दास

सूचना-सूचित किया जाता है कि स्व. राणा प्रताप सिंह कृषि विभाग मे आत्मायोजनांतर्गत वि.ख. कप्तानगंज ब्लॉक टेक्नोलाजी मैनेजर (बी.टी.एम.) के पद पर कार्यरत थे जिनकी मृत्यू हृदय गति रुक जाने के कारण दिनांक 20-10-2026 को शाम 7.00 बजे रात्रि को हो गयी है। जो विगत 15 वर्षों से राजकीय कार्य किया, इनका काम बहुत ही अच्छा रहा। **प्रज्जवल कुमार सिंह** पुत्र स्व. राणा प्रताप सिंह, पता-वार्ड नं.-13, कप्तागंज, कुशीनगर।

सूचना-मेरा पुराना मूल बैनामा पेपर/मदर डीड जो दिनांक 29-01-1992, विक्रेता- रामगति पुत्र महादेव, क्रेता- विजय कुमार, संजय कुमार, अमित कुमार, सुजीत कुमार पुत्र मदनलाल गुप्ता ,बही संख्या-1,जिल्द संख्या-31,पृष्ठ संख्या-19 से 20,कमांक-116 पर उपनिबंधक कार्यालय नौतनवा, जनपद महराजगंज के यहां पंजीकृत हुआ था जो नौतनवा बाजार में जाते समय दिनांक 01-09-2026 को वास्तव में कहीं खो गया है। **मदनलाल गुप्ता** पुत्र सच्चा राम गुप्ता निवासी जुगौली नगर पंचायत सोनौली,तप्पा सिरसिया,तहसील नौतनवा, जिला महाराजगंज, मो० नं० 9129489214

अदालती नोटिस

प्रपत्र संख्या-3

न्यायालय-अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय द्वितीय, गोरखपुर

याचिका सं.-91/2026

जेबा खातून बनाम शाह मोहम्मद उर्फ शाह कमर

शाह मोहम्मद उर्फ शाह कमर पुत्र वाजिद अली उर्फ गाजर निवासी ग्राम व पोस्ट-पिपरौली (पूरब मोहल्ला) थाना गीडा, जिला-गोरखपुर पिन कोड-273212

चूंकि ऊपर नामित याची ने आपके विरुद्ध जैसा याचिका में दिया गया है एक याचिका संस्थित की है। आपसे इस सम्मन के आपको तामील होने के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस न्यायालय में स्वयं हाजिर होने या न्यायालय की अनुमति से वकालतनामा दाखिल करने की अपेक्षा की जाती है। और चूंकि वाद को निर्देश के लिए 25 दिवस 11 माह सन् 2026 को न्यायाधीश के बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

आपको एतद्द्वारा याची के दावे का उत्तर देने के लिए उक्त 25 दिवस 11 माह सन् 2026 को न्यायाधीश के समक्ष पूर्वाह्न 11 बजे उपस्थित होने के लिए सम्मन किया गया है और सूचना दी जाती है कि पूर्व उल्लिखित दिनांक को पक्षों को, जो उपस्थित हों, सुनने के पश्चात/न्यायाधीश द्वारा कुटुम्ब न्यायालय के परामर्शदाता के समक्ष सुनवाई के दिनांक के सम्बन्ध में और याचिका से सम्बन्धित अन्य मामलों में निर्देश दिये जायेंगे और अग्रतर सूचना दी जाती है कि यदि पूर्व उल्लिखित दिवस को न्यायाधीश के समक्ष स्वयं हाजिर होने या ऊपर यथापेक्षित वकालतनामा दाखिल करने या आप उपस्थित होने में असफल रहते हैं तो याचिका को उसी दिन या किसी अनुवर्ती दिवस को 'अप्रतिवादित' के रूप में बोर्ड के समक्ष रखा जायेगा और आपके विरुद्ध पारित किसी डिग्री या आदेश के लिए आप उत्तरदायी होंगे।

पूर्वोक्त आज 15 दिवस 10 माह सन् 2026 ई. को जारी

ह. पदाभिहित अधिकारी

मोहर न्यायालय

सूचना-सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम VIKASH GUPTA से बदलकर VIKAS GUPTA रख लिया है।अब मुझे इसी नाम से जाना एवं समझा जाए। **VIKAS GUPTA** पुत्र बैजनाथ गुप्ता निवासी सखापार माफी, सुकरौली, जिला कुशीनगर 274207

सूचना-सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम RAJESH YADAW से बदलकर RAJESH YADAV रख लिया है।अब मुझे इसी नाम से जाना एवं समझा जाये। **RAJESH YADAV** पुत्र शिव प्रसाद यादव निवासी ग्राम कुरमौलि बक्शी गांव पोस्ट टिकमपर थाना बनकटा जिला देवरिया पिन 274202

सूचना-सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम SUVASH से बदलकर SUBHASH रख लिया है।अब मुझे इसी नाम से जाना एवं समझा जाए। **SUBHASH** पुत्र खुबराज निवासी भवानीपुर, पोस्ट जिगिनी बुजुर्ग, उरुवा बाजार, जिला गोरखपुर 273407

सूचना-सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम उम्मे कुलसुम खानम पत्नी अब्दुल मोहीद खान से बदल कर अब नया नाम उम्मे कुलसुम (UMME KULSUM) पत्नी अब्दुल मोहीद खान (ABDUL MOHEED KHAN) कर लिया है।अब मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाये।**उम्मे कुलसुम** पत्नी अब्दुल मोहीद खान निवासिनी मोहल्ला लोहिया नगर पोस्ट बांसी तहसील बांसी थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर

सूचना-सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम BADRUNNISA से बदलकर BADROONISHA रख लिया है।अब मुझे इसी नाम से जाना एवं समझा जाय। **BADROONISHA** W/O DEEN MOHAMMAD निवासी ग्राम बर्ड पुर नं 12, मधुकरपुर, पोस्ट विशुनपुर, थाना व जिला – सिद्धार्थनगर 272202

सूचना-सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि मैंने अपना नाम RAVI KUMAR से बदल कर RAVI JAISAWAL कर लिया हैं । अब मुझे इसी नाम से जाना और पहचाना जाए। **RAVI JAISAWAL** S/O RAKESH PRASAD निवासी वार्ड नं 2 गौशाला गली, बेल्थरा रोड, पोस्ट बेल्थरा रोड, जिला बलिया,उत्तर प्रदेश-221715

सूचना-सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम राजबंश प्रजापति बदलकर राजबंश रामरूप प्रजा. पति रख लिया है।अब मुझे इसी नाम से जाना एवं समझा जाए। **राजबंश रामरूप प्रजापति** पुत्र रामरूप प्रजापति ग्राम व पोस्ट बराव, जिला देवरिया

सूचना-सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम संदीप से बदलकर संदीप प्रसाद रख लिया है।अब मुझे इसी नाम से जाना एवं समझा जाए। **संदीप प्रसाद** पुत्र दीनानाथ निवासी ग्राम व पोस्ट श्यामदेउरवा, जिला महराजगंज

सूचना-'मेरा हाईस्कूल वर्ष 2023 रोल नंबर 1233115331 का अंकपत्र सह मूल प्रमाण पत्र कहीं खो गया है। नाम- **अर्पिता नंदनी (ARPITA NANDANI)** पता- बड़हरा लक्ष्मीपुर, पोस्ट पुरैनी, जनपद कुशीनगर।'

सूचना-सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं अवधेश कुमार ओझा पुत्र अखिल कुमार ओझा का मूल दस्तावेज बैनामा दिनांक 29-09-2012 बही नं.-1, जिल्द संख्या-8599, पृष्ठ 16, क्रमांक 10808 कहीं गिर गया है। **अवधेश कुमार ओझा,** निवासी-221बी, माधोपुर, गोरखपुर।

सूचना-सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2000 अनुक्रमांक 1425716 एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2002 अनुक्रमांक 0519222 का मूल प्रमाणपत्र एवं अंकपत्र वास्तव में खो गया है। **मंजू सिंह** पुत्री फूलचन्द सिंह, ग्राम व पोस्ट-नरकटहा बाजार, जिला-महराजगंज

सूचना-सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2006 अनुक्रमांक 2157272 का मूल प्रमाणपत्र एवं अंकपत्र वास्तव में खो गया है। **कु. फरखंदा जबीन** पुत्री खालिद मोईन, रसूलपुर छावनी, गोरखनाथ, गोरखपुर।

सेवा में कमी: तीन अधिकारियों पर ब्याज सहित धनराशि वापस करने के निर्देश

गोरखपुर, ५ नवम्बर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह एवं सदस्य वीना सिंह ने सेवा में कमी का आरोप प्रसिद्ध पाए जाने पर अपन मुख्य अधिकारी जिला पंचायत जिला पंचायत अधिकारी अध्यक्ष जिला पंचायत एवं खंड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत पिपरौली के विरुद्ध निर्णय दिया कि वह उपभोक्ता हरिलाल साहनी का 14000 10 से प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करें तथा मानसिक क्षेत्र के लिए 40000 एवं वार्ड में के लिए 10000 भी प्रदान करें जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत कुमार ने दाखिल परिवार में कहा था कि उपभोक्ता ने विपक्षी गण के कार्यालय से जारी विज्ञापन ग्राम कलानी खुर्द भवापार तहसील सदर में कृषि योग्य भूमि अस्थाई तौर पर खेती के लिए किराया पर 3 वर्षों के लिए दिया जाना है आवेदकों से 14 000 एवं 14000 अर्थात 28000 रुपया जमा करने का निर्देश दिया गया उपभोक्ता हरिलाल ने 28000 पर जमा कर दिया था जब उपभोक्ता उक्त किसी भूमि पर कार्य करना चाह तो पता चला कि उसे पर किसी अन्य व्यक्तियों का कब्जा है उसकी रजिस्ट्री बनाना किसी और को कर दिया गया है जिसकी शिकायत जिलाधिकारी से की गई।

इकहरी यात्रा को चलेगी अनारक्षित विशेष ट्रेनें

गोरखपुर, ५ नवम्बर। रेलवे प्रशासन द्वारा त्यौहारों पर रेल यात्रियों की सुविधा हेतु 05017 आजमगढ़-उधना अनारक्षित त्यौहार विशेष गाड़ी का संचलन 6 नवम्बर को आजमगढ़ से इकहरी यात्रा के लिये किया जायेगा। 05017 आजमगढ़-उधना अनारक्षित त्यौहार विशेष गाड़ी 6 नवम्बर को आजमगढ़ से 14 बजे प्रस्थान कर मुहम्मदाबाद से 14.25 बजे, मऊ से 15.20 बजे, बेलथरा रोड से 16.07 बजे, सलेमपुर से 16.32 बजे, भटनी से 16.55 बजे, देवरिया सदर से 17.25 बजे, गोरखपुर से 19.10 बजे, बस्ती से 20.15 बजे, गोंडा से 21.35 बजे, बाराबंकी से 23.02 बजे, बादशाहनगर से 23.37 बजे, दूसरे दिन ऐशबाग से 15 बजे, कानपुर सेण्ट्रल से 1.45 बजे, टूण्डला से 05.55 बजे, ईदगाह आगरा से 6.55 बजे, बयाना से 9.10 बजे, गंगापुर सिटी से 10.10 बजे, कोटा से 12.35 बजे, रामगंज मंडी से 13.30 बजे, भवानी मंडी से 13.53 बजे, नागदा से 16.05 बजे, रतलाम से 17 बजे, वडोदरा से 20.53 बजे तथा सूरत से 22.45 बजे छूटकर उधना 23.10 बजे पहुंचेगी। इस गाड़ी में एस.एल.आर.डी. के 2 एवं सामान्य द्वितीय श्रेणी, शयनयान श्रेणी के 16, कोचों सहित कुल 18 कोच लगाये जायेंगे। 05019 लखनऊ जं.-लुधियाना अनारक्षित त्यौहार विशेष गाड़ी का संचलन 6 नवम्बर को लखनऊ जं. से इकहरीच यात्रा के लिये किया जायेगा। 05019 लखनऊ-लुधियाना अनारक्षित त्यौहार विशेष गाड़ी 6 नवम्बर को लखनऊ जं. से 11 बजे प्रस्थान कर शाहजहाँपुर से 13.47 बजे, बरेली से 15.35 बजे, मुरादाबाद से 17.45 बजे तथा अम्बाला कैण्ट से 1.20 बजे छूटकर लुधियाना 3.40 बजे पहुंचेगी। 05021 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस अनारक्षित त्यौहार विशेष गाड़ी का संचलन 6 नवम्बर को गोरखपुर से एकल यात्रा के लिये किया जायेगा। 05021 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस अनारक्षित त्यौहार विशेष गाड़ी 6 नवम्बर को गोरखपुर से 19.30 बजे प्रस्थान कर खलीलाबाद से 20.10 बजे, बस्ती से 21.14 बजे, गोण्डा से 22.15 बजे, दूसरे दिन लखनऊ से 1.10 बजे, कानपुर सेंट्रल से 3.40 बजे, उरई से 5.22 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से 7.35 बजे, बीना से 11.40 बजे, भोपाल से 14 बजे, इटारसी से 15.45 बजे, खण्डवा से 19.17 बजे, भुसावल से 21.05 बजे, मनमाड से 23.47 बजे, तीसरे दिन नासिक रोड से 52 बजे, कल्याण से 5.22 बजे छूटकर लोकमान्य तिलक टर्मिनस 6.40 बजे पहुंचेगी।

आई एम ए ब्लड बैंक ने किया स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन;

गोरखपुर, ५ नवम्बर। डॉ. चन्द्रा मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल और आईएमए चैरिटेबल ब्लड सेंटर की तरफ़ से सामाजिक सरोकार के तहत अस्पताल परिसर में आज एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर आपातकालीन एवं गंभीर मरीजों के लिए सुरक्षित रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना और आम जनता को रक्तदान के प्रति जागरूक करना था। रक्तदान शिविर में क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, युवाओं और अस्पताल स्टाफ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्वैच्छिक रक्तदान किया। रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र और डोनर कार्ड देकर सम्मानित किया गया।

अखिलेश चन्द द्वारा ज्ञानमण्डल प्राइवेट लिमिटेड के लिए ज्ञानमण्डल यंत्रालय ज्ञानमण्डल प्राइवेट लिमिटेड लाहिड़ी बिल्डिंग बैंकरोड, गोरखपुर से मुद्रित एवं ज्ञानमण्डल लिमिटेड लाहिड़ी बिल्डिंग बैंक रोड गोरखपुर से प्रकाशित

सम्पादक : शार्दूल विक्रम गुप्त

स्थानीय व्यवस्थापक : अखिलेश चन्द

वाराणसी :	सन्त कबीर मार्ग
प्रयागराज :	३, लीडर रोड
कानपुर :	बांसमण्डी
लखनऊ :	१, जापलिंग रोड
आगरा :	महात्मा गांधी रोड
बरेली :	रोड नं.-३, परसाखेड़ा
पटना :	फ्रेजर रोड
रांची :	नामकुम इंडस्ट्रीयल एरिया
जमशेदपुर :	कालीमाटी रोड

पंजीयन संख्या-आर.एन. ३८७१०/८१

दूरभाष : २२०१८७६

फैक्स : २३३१२१२

e-mail-aj_gorakhpur@yahoo.com

ajgorakhpur@gmail.com

पी.आर.बी.अधिनियम के अन्तर्गत समाचार चयन के लिए स्थानीय सम्पादक जिम्मेदार होंगे तथा समस्त विवाद गोरखपुर न्यायालय के अधीन होगा।

पाठकों से

'**आज**' में छपे किसी भी विज्ञापन के सम्बन्ध में पाठक स्वतः जांच करके कार्य करें। इसके सम्बन्ध में कोई भी दावा '**आज**' प्रकाशन पर न होगा।

प्रबंधक